U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tk/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh ¼Mk- lfer 'kek] vkb-,-,l

सूचना का अधिकार प्रथम अपील संख्या 04/2020

vihykUV	बनाम	**jLikMUVl**
मोइनुदीन उवैशी, निवासी–एक मीनार मस्जिद के पास, आडा बाजार, जोधपुर।		लोक सूचना अधिकारी अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर), कार्यालय हाजा

fu.k;

fnukad uoEcj] 2020

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के द्वारा कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर) के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 07.09.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदनों के सम्बन्ध में यथाः–कार्यालय हाजा स्तर से की गई कार्यवाही बाबत यथाः–

1. मेरे द्वारा जोधपुर शहर में स्थित मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तानों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने हेतु संभागीय आयुक्त को प्रेषित किये गये अभ्यावेदन पर कब–कब जिला कलेक्टर जोधपुर को प्रेषित किये गये, उसकी टिप्पणी की प्रमाणित प्रति।
2. मेरे द्वारा जोधपुर शहर में स्थित मुस्लिम समुदाय के कबिस्तानों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने हेतु आपके कार्यालय में संधारित पत्रावली की सम्पूर्ण प्रमाणित प्रति मय कार्यालय टिप्पणी की प्रमाणित प्रति।
3. मेरे द्वारा जोधपुर शहर में स्थित मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तानों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने हेतु आपके कार्यालय में संधारित पत्रावली की सम्पूर्ण प्रमाणित एवं कार्यालय टिप्पणी की प्रमाणित प्रति।

हुए पत्राचार एवं कार्यालय पत्रावली की नोटशीट की प्रमाणित छायाप्रति इत्यादि चाही गई थी। अपीलान्ट ने अपील में यह कथन अंकित करते हुए यह अपील प्रस्तुत की गई है कि उनके विभाग ने अपीलान्ट की ओर से चाही गई स्टीक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई अतः अपीलान्ट

यह अपील कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि चाही गई सूचनाएं निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराई जावें।

अपीलार्थी की अपील दर्ज कर कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी से अपील पर टिप्पणी तलब की गई जिसमें उनके द्वारा जरिये पत्रांक 92 दिनांक 03.11.2020 के द्वारा अवगत कराया गया कार्यालय की राजस्व शाखा के द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय में संधारित वर्ष 2015 तक की नष्टीकरण योग्य पत्रावलियों का नष्टीकरण किया जा चुका है उसके पश्चात की अपीलान्ट की प्राप्त शिकायतें सम्बन्धित विभाग को लिखे गये पत्रों/निर्देशों की प्रतियॉ कार्यालय की उपलब्ध पत्रावली रेकर्ड अनुसार कुल 43 पेज की प्रमाणित प्रतियॉ तैयार की जाकर दिनांक 5.10.2020 को प्रार्थी को ले जाने हेतु सूचित किया जिस पर अपीलान्ट/प्रार्थी दिनांक 8.10.2020 को उपस्थित होकर नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क जमा करवाते हुए सूचना प्राप्त कर चूका है अतः प्रथम अपील अपीलान्ट सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

हमने अपीलान्ट की अपील एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रेषित टिप्पणी एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह प्रतीत होता है कि अपीलान्ट को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये गये दिनांक 7.09.2020 के उनके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में कार्यालय की राजस्व शाखा में संस्थित पत्रावली में से अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 8.10.2020 को प्राप्त की चुकी है। इसके उपरान्त भी यदि अपीलान्ट को किसी प्रकार का संशय हो तो वह राजस्व शाखा कार्मिक के समक्ष कार्यालय समय में उपस्थित होकर संधारित पत्रावली का अवलोकन कर सकते है एवं उक्तानुसार सूचनाएं पुनः प्राप्त करने की कार्यवाही कर सकता है। इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे इस सम्बन्ध में राजस्व शाखा कार्मिक को अपीलान्ट के उपस्थित होने पर वांछित पत्रावली के अवलोकन करने एवं तत्पश्चात उनके द्वारा चाहे गये दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियॉ निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें। अपीलान्ट की अपील का इस स्तर पर निस्तारण किया जाता है। अपील निर्णय की प्रति अपीलान्ट को भी प्रेषित की जावें।

¼Mk- lfer 'kek½
fMoh tuy dfe'uj]
tk/kiqj